



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233925
CG-DL-E-04032022-233925

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 951]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/फाल्गुन 12, 1943

No. 951]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

का.आ. 981(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH161A के कि.मी. 45 से कि.मी.90 (बिल्डिंग Bhokar-किनवट रोड) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१८.०६.२०२१" को "लोकमत टाइम्स" और "लोकमत मराठी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH161A के कि.मी. 45 से कि.मी. 90 (बिल्डिंग Bhokar-किनवट रोड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: किनवट				
	गांव का नाम: बेन्दी				
1	69/3	निजी	कृषिक	0.0387	गोविंदराव रामचंद्र महाजन (६९/३)
	गांव का नाम: जरोदा तांडा				
2	39/A	निजी	कृषिक	0.1997	नानकसिंह सज्जनसिंह खसावत राजनसिंह (३९ अ)
3	40	निजी	कृषिक	0.03	रंजनाबाई बाबू कागणे (उकंडराव नागोराव तोडसाम यांचा ताबा कब्जा) (४०)
			कुल	0.2684	

[फा. सं. 12037/37/2017-MAH-P6/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2022

S.O. 981(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH161A on the stretch of land

from Km. 45 to Km. 90 (SDO office Building Bhokar-Kinwat Road) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat Times” and “Lokmat Marathi” both dated 18.06.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH161A in the stretch of land from Km. 45 + Km. 90 (SDO office Building Bhokar-Kinwat Road) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: NANDED		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kinwat				
	Village: Bendi				
1	69/3	Private	Agriculture	0.0387	Govindrao Ramchendra Mahajan 69/3
	Village: Jaroda Tanda				
2	39/A	Private	Agriculture	0.1997	Nanaksinha Sajjansinha Khasavat Rajansinha 39A
3	40	Private	Agriculture	0.03	Ranjanabai Babu Kagne (Ukandrao Nagorao Todsam Kbja Taba) 40
			TOTAL	0.2684	

[F. No. 12037/37/2017-MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Director